कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/1788/अजिद/एस.डब्ल्यू/2020 बलौदाबाजार, दिनांक 06.08.2020

जिले में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, द्वारा महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अंतर्गत जारी, अधिसूचना क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1, दिनांक 13.03.2020, के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 का प्रयोग करते हुए, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र (बलौदाबाजार, भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल, दुण्ड्रा, बिलाईगढ़, भटगांव) में दिनांक 21.07.2020 रात्रि 12.00 बजे से 06.08.2020 रात्रि 12.00 बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा बाजार बंद रखने का आदेश पारित किया गया था।

2. वर्तमान में जिले में कोराना वायरस के संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिले के व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं बाजारों के सम्बन्ध में उनके नाम के सम्मुख दर्शित समय अनुसार खोले जाने की अनुमति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र.	वर्ग	समय
1	सब्जी, डेयरी, मटन, मछली	प्रातः 8.00 से दोपहर 12.00 बजे तक
2	किराना, जनरल, प्रोविजन स्टोर	प्रातः 8.00 से शाम 5.00 बजे तक
3	अन्य समस्त व्यवसाय	प्रातः 8.00 से शाम 5.00 बजे तक
4	रेस्टोरेंट होटल में डाइनिंग होम डिलीवरी, पार्सल, टेक अवे	प्रातः 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक रात्रि 7.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक

3. सप्ताहिक अवकाश के दिनों में उपरोक्त नगरीय क्षेत्र की समस्त दुकानें (मेडिकल स्टोर एवं पेट्रोल पंप को छोड़कर) पूर्णतः बंद रहेगी।

भारत शासन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी सभी निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जावे।

4. कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860(1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/प्रतिष्ठान द्वारा, उपर्युक्त आदेश एवं इसमें दिये निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा। आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

District Magistrate Baloda Bazar (C.G.)

6.8.08

(सुनील कुमार जैन) I.A.S
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा
बलौदाबाजार, दिनांक 06.08.2020

पृ. क्रमांक/ [illegible] /अजिद/एस.डब्ल्यू/2020

प्रतिलिपिः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।

Scanned with CamScanner

5. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. अति.जिला दंडाधिकारी, बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. अनुविभागीय दंडाधिकारी बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ/कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
12. तहसीलदार/कार्यपालिक दंडाधिकारी समस्त जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराई जावे।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ़/कसडोल को सूचनार्थ, अपने कार्यालय के सूचना पटल पर इस आदेश की एक प्रति चस्पा कराने एवं उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी, (समस्त) बलौदाबाजार–भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. सहायक संचालक एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क विभाग, बलौदाबाजार–भाटापारा, को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, सोशल मिडिया के माध्यम, प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।
16. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बलौदाबाजार–भाटापारा, की ओर इस आदेश की एक प्रति स्कैन कर, जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

06.08

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
बलौदाबाजार–भाटापारा

Scanned with CamScanner